नाथू बनाम राजेश (2023/310)

27.10.23 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 19.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 (केवियटकर्ता) अनुपस्थित।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.06.2014 न्याय नियम एवं विधि के विपरीत है। अपीलार्थी को उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 03.06.2014 की कभी भी जानकारी नहीं रही है अपीलांट को दिनांक 15.11.2022 को जानकारी होते ही जवाब पेश कर दिया गया था, परंतु उसके पश्चात भी स्थगन लगातार जारी है। प्रकरण में अब भी रेस्पोडेंट द्वारा तलबाना प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है जिससे अनावश्यक विलंब हो रहा है साथ ही साथ आदेश केवल जवाब तक के लिए जारी किया गया था अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है परंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए यह अपील प्रस्तुती में देरी हुई है जो सदभावी हैं। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कण्डोन किया जावें तथा अपील श्रवणार्थ ग्रहण फरमाई जावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील प्रस्तुत कर दी है, जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से परे जाकर मनमाने ढंग से आक्षेपित आदेश दिनांक 03.06.2014 को पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। अपील में वर्णित तथ्यों को पुनरावृत्ति से रोकने के लिए अपील के तथ्यों एवं आधारों को स्थगन प्रार्थना–पत्र का भाग समझकर पढा जावे। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.2014 की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3.6.2014 को एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। जानकारी दिनांक 15.11.2022 को होते ही जवाब पेश कर दिया गया मगर उसके पश्चात भी स्थगन लगातार जारी रखा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा तलवाना ही प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। जिससे अनावश्यक विलंब हुआ है अपीलांट के जवाब पर कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई हैं। इसलिए अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया, जावे अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण संख्या 64/2014 राजेश बनाम नाथू 212 आरटी एक्ट दिनांक 3.6.20104 से दिनांक 24.5.2023 का अवलोकन किया गया। यह सही है कि दिनांक 3.6.2014 को ही वर्तमान अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 को पाबंद किया गया था। मगर अपीलांट द्वारा तलवाना पेश नहीं किया गया दिनांक 15.11.2022 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। वकालतनामा के साथ जवाब पेश किया गया। मगर दिनांक 24.5.2023 तक जवाब के बावजूद बहस नहीं सुनी गई तथा अंतरिम अस्थाई स्थगन आदेश प्रभावशील बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 39 रूल 3ए सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जो उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास अपील के अलावा कोई अन्य रास्ता शेष नहीं रहता है, अतः इसी रोशनी में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2014 मनमाने ढंग से पारित

27.10.23
राजस्व अपील प्राधिकारी

किया गया है जो प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की कियान्विति स्थगित रखी जाए।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने मुख्य रूप से बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा धारा 53, 188 आरटी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय दूदू में वादपत्र दायर किया गया था अपीलांट व रेस्पोडेंट 1 से 10 सहखातेदार हैं। दिनांक 3.6.2014 को वर्तमान अपीलांट व रेस्पोडेंट 2 के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद इनके द्वारा (वादी/वर्तमान रेस्पोडेंट 1) कई सालों तक तलवाना पेश नहीं किया गया जबकि कोर्ट के द्वारा इस बाबत आदेश दिए जाते रहे। दिनांक 3.8.2022 को अगले 14 दिन में कोर्ट के द्वारा तलवाना पेश करने हेतु रेस्पोडेंट को निर्देश दिया गया था मगर इसकी भी पालना उनके द्वारा नहीं कि गई। दिनांक 15.11.2022 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें हमने बंटवारे बाबत सहमति अंकित की थी। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश सिर्फ अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध ही जारी किया गया था अन्य किसी के विरूद्ध नहीं किया गया था। जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी अभी तक बहस नहीं सुनी गई। वर्तमान केवियट भी रेस्पोडेंट सख्या 2 की ओर से लगाई गई है जब कि वादकर्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 राजेश की ओर से लगाई जानी चाहिए थी।

बहस बिंदुओ पर विचार किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 9 वर्ष बाद भी 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिए गए प्रकरणों में एक माह के अंदर जवाब प्राप्त कर निर्णय करना होता है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपीलांट सहखातेदार है प्रथम दृष्टया उसका प्रकरण बनता है उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती थी मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसकी वजह से उसे परेशानी का सामना करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश को पारित किया है जो उचित नहीं है इस स्टेज पर न्यायालय उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2014 में जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को अंतरिम रूप से स्थगित किए जाने का आदेश देता है। अधीनस्थ न्यायालय 212 के प्रार्थना पत्र का एक माह की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारण करें। अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में अपील उपस्थिति प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

27.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर